उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
19, सी, तुलसी गंगा काम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/ विज्ञप्ति
(वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु)

कम्प्यूटर आपरेटर–ग्रेड–सी से प्रोग्रामर ग्रेड–2 के रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र 02 कार्मिकों के चयन के सम्बन्ध में प्रथम चरण में 02 अभ्यर्थियों की दिनांक 13–02–2023 को सम्पन्न लिखित परीक्षा के प्रश्नों एवं उनके उत्तर विकल्पों के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों के परीक्षणोपरान्त संशोधित उत्तर विकल्पों के आधार पर अगले चरण में सेवाभिलेखों के मूल्यांकन हेतु सफल होने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम।

संख्या : पीआरपीबी-चार-15(14)/2022

दिनांक : अप्रैल/13, 2023

कम्प्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड-2 के रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र 02 अभ्यर्थियों के विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन हेतु दिनांक 13-02-2023 को सम्पन्न हुई प्रथम चरण की लिखित परीक्षा की प्रश्नपुस्तिका, उत्तरकुंजी, ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक का पार्ट-ए एवं पार्ट-बी की प्रतिकृति (Image) बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in/ पर दिनांक 21-02-2023 से 02-03-2023 तक प्रदर्शित कर उपरोक्त सूचना/अभिलेखों तथा प्रश्न पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तर विकल्पों के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति होने की दशा में दिनांक 02-03-2023 तक आपत्तियॉ आमन्त्रित की गयीं थी।

2- अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नों एवं उनके उत्तर विकल्पों के सम्बन्ध में प्रेषित आपत्तियों के परीक्षणोपरान्त एवं विषय/तकनीकी विशेषज्ञ की संस्तुतियों के आधार पर 08 प्रश्नों के उत्तर विकल्प परिवर्तित/संशोधित किये गये हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

उत्तर विकल्प संशोधित किये गये प्रश्नों का विवरण

क्र0सं0	प्रश्न संख्या	उत्तर कुंजी	संशोधित उत्तर कुंजी
1	34	C	A
2	46	B	C
3	56	B	C
4	57	C	B
5	60	A	B
6	61	D	A
7	77	D	B
8	79	D	C

2- संगत सेवानियमावली में दिये गये प्रावधानानुसार लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियो के सेवाभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा। अभ्यर्थीगण बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in/ पर जाकर दिये गये लिंक पर अनुक्रमांक व जन्म तिथि डालकर अगले चरण "सेवाभिलेखों का मूल्यांकन" हेतु अर्ह होने की जानकारी प्राप्त कर सकते है।

3- यद्यपि उक्त सूचना वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही त्रुटि पाये जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा/अनुमन्य होगा। यह सूचना सर्वसाधारण के लिए है। अत: जो सूचनाएं इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, उनके सम्बन्ध में सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत अथवा अन्य माध्यमों से पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

13/4/23

अपर सचिव-प्रोन्नति,
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।